राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रकरण सख्या : 31/2018

कुश कुमार पुत्र रामबिलास जाति ब्राहमण निवासी नन्द भवन मैन मार्केट बारां ....वादी

♠ बनाम ♠

1. लव कुमार पुत्र रामबिलास जाति ब्राहमण निवासी नन्द भवन मैन मार्केट बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 आरटीएक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील प्रार्थी : श्री मनोज कुमार आर्य

निर्णय दिनांक : 10.05.2018

दायरा दिनांक: 08.05.2018

प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि माल इन्द्राहेडी मे स्थित खाता संख्या नया 47 पुराना 46 में खसरा नं0 21 रकबा 3.05 है0 खसरा नं0 84 रकबा 4.48 है0, एवं खसरा नं0 106 रकबा 1.05 है0 कुल किता 3 रकबा 8.58 है0 एवं ग्राम किशनपुरा में खाता संख्या नया 271 पुराना 267 में खसरा नं0 657 रकबा 4.85 है0 स्थित हैं। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी का 1/2–1/2 हिस्सा शामलाती रूप से राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। वादी अपने हिस्से की आराजी को अपने खाते दर्ज कराना चाहता है परन्तु प्रतिवादी कम 1 खाता विभाजन करवाने में कोई रूचि नही दिखा रहा, प्रतिवादी कम 2 से भी कई बार निवेदन किया कि उक्त आराजी का मौखिक विभाजन के आधार पर खाता पृथक करके खाता विभाजन करें। अतः वर्णित आराजी का विभाजन किया जाकर ग्राम इन्द्राहेडी के खसरा नं0 657 एवं 21 वादी की पृथक खातेदारी में एवं ग्राम किशनपुरा के खसरा नं0 84 व 106 प्रतिवादी के पृथक एवं स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्राप्त होने पर दिनांक 08.05.2018 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली एवं रेकार्ड का अवलोकन किया गया वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित हुए उपस्थित होकर दोनो ने बंटवारे के संबंध में सहमति जाहिर की कुशकुमार वादी द्वारा इकबाले जवाब वादपत्र पेश किया जो

फाईल किया उक्त वर्णित आराजी ग्राम किशनपुरा एवं इन्द्राहेडी के हम वादी एवं प्रतिवादी कम 1 दार स्वामी उक्त वर्णित आराजी में हमारा 1/2–1/2 हिस्सा निर्धारित है। मौखिक बंटवारा अनुसार हम वादी, प्रतिवादी कम 1 अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। हमारे कब्जे काश्त अनुसार हमारी उपरोक्त वर्णित आराजी का बंटवारा कर पृथक पृथक खाता दर्ज कर दिया जावें। वाद पत्र में वर्णित आराजी का बंटवारा करने में हमें कोई आपत्ति नही है। उक्त वर्णित आराजी ग्राम किशनुपरा एवं इन्द्राहेडी की आराजी को मौके पर कब्जे काश्त अनुसार पृथक–पृथक कर पृथक से राजस्व लगान निर्धारित करने का आदेश प्रदान करें।

प्रकरण मे पटवारी हल्का द्वारा ग्राम इन्द्राहेडी के इन्तकाल नं0 136 दिनांक 10.05.2018 एवं ग्राम किशनपुरा के नामा0 संख्या 961 दिनांक 10.05.2018 पर बंटवारा प्रस्ताव की पालना कर दी गई है। तहसीलदार मांगरोल अनुसार वाद पत्र में संदंर्भित तथ्यो की पालना कर दी गयी है अतः पत्रावली कोई कार्यवाही शेष नही होने से प्रकरण ड्रोप किया जाता है। फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.05.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कोर्ट केम्प किशनपुरा मजमेंआम में सुनाया गया।